फर्द–अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला–अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या–122/2025

बनाम

अन्तर्गत धारा:–

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। पत्रावली वास्ते आदेश बाबत नियत है। पत्रावली में बहस सुने हुए 1 माह से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। पत्रावली पुनः बहस प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 LRA नियत की जाती है। पत्रावली में वकील प्रार्थी द्वारा बहस बाबत निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश आगामी दिनांक 19/11/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)	
19/11/25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र धारा अन्तर्गत 128 LRA बाबत नियत है। ~~वकील~~ पत्रावली तथा उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड मय जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। GEM पत्र का मनन किया गया। बाद उक्त अवलोकन तथा मनन वकील प्रार्थी / प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA अनुतोष योग्य नहीं होने खारिज किया जाता है। पत्रावली में विस्तृत निर्णय लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार है। नम्बर से इस रोकर दाखिल दफ्तर है। निर्णय आज दिनांक 19/11/2025 को सरेइजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)	